	अध्याय VII **द्वीप परिषद**	
	52. प्रत्येक द्वीप में परिषद के गठन के लिए प्रशासक द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी किया जाएगा, उसे द्वीप परिषद कहा जाएगा ।	द्वीप परिषद का गठन
	53. (1) प्रत्येक द्वीप परिषद में उतने सदस्य शामिल होंगे जितना प्रशासक अधिसूचना द्वारा निर्धारित करेगा । (2) संबंधित द्वीप परिषद के ग्राम साधारण निकाय के पंजीकृत मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से प्रत्येक द्वीप परिषद के चीफ कैप्टन का चुनाव किया जाएगा । (3) द्वीप में प्रत्येक ग्राम परिषद के सभी फर्स्ट कैप्टन के बीच से द्वीप परिषद के उप कैप्टन का चुनाव किया जाएगा । (4) द्वीप परिषद में चीफ कैप्टन, वाइस चीफ कैप्टन और गाँव का फर्स्ट कैप्टन सदस्य के रूप में शामिल होंगे । (5) धारा 11 की उपधारा (5) और (6) के प्रावधान जहाँ तक हो सके द्वीप परिषद के लिए भी लागू होगा, जैसा कि यह ग्राम परिषद के लिए लागू होता है । परिवर्तन के अधीन रहते हुए फर्स्ट कैप्टन के स्थान पर चीफ कैप्टन प्रतिस्थापित किया जाएगा ।	द्वीप परिषद का संघटन
	54. प्रत्येक द्वीप परिषद जिसके पास निगमित निकाय के रूप में चिरस्थाई उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर हो और बशर्ते कि इस विनियम के द्वारा अथवा तत्समय लागू अन्य विधि के अन्तर्गत ऐसे प्रतिबन्ध और शर्तें लगाई हों जो उक्त नाम से वाद चलाने या चलाए गए वाद अथवा चल और अचल सम्पति को खरीदने, रखने, देखरेख करने और सम्पति हस्तान्तरण की शक्ति रखता हो ।	द्वीप परिषद का निगमीकरण
	55. द्वीप परिषद गठित करने वाले साधारण ग्राम निकाय के प्रत्येक सदस्य द्वीप परिषद के लिए चुने जाने अथवा मतदान हेतु इस उपबन्धों की धारा 4 अथवा अस्थायी रूप से प्रभावित अन्य विधि के अन्तर्गत योग्य या अयोग्य होगा ।	मतदान तथा चुने जाने के लिए योग्य व्यक्ति
	56. कोई भी व्यक्ति द्वीप परिषद का सदस्य नहीं होगा अथवा सदस्य के रूप में बना नहीं रहेगा यदि वहः— (क) ग्राम परिषद अथवा द्वीप परिषद को देय किसी कर, शुल्क अथवा अन्य राशि के भुगतान किए जाने की तिथि तक या तीन माह जिसके भीतर ग्राम परिषद अथवा द्वीप परिषद को ऐसे करों, शुल्क अथवा देय राशि का भुगतान किया जाना था, भुगतान करने में असफल रहा हों ;	अयोग्यता